

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक / 11851 / छात्र/संचिशि/22

रायपुर, दिनांक 02/DEC 2022⁰²²

प्रति,

अधिष्ठाता,

श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूटी ऑफ मेडिकल साईंसेस,

भिलाई (छ.ग.)।

विषय:—माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्र. WPC 5307/2022 में जारी आदेश दिनांक 30.11.2022 के द्वारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूटी ऑफ मेडिकल साईंसेस, भिलाई (छ.ग.) की एम.एस. जनरल सर्जरी की 01 सीट पर आबंटन जारी न किये जाने का आदेश जारी हुआ था, जो कि आज दिनांक 02.12.2022 को प्रकरण को खारिज कर सीट को मुक्त किये जाने ज्ञानकारी बाबत।


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वह सीट जो आबंटन हेतु रोकी गई थी, वह श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूटी ऑफ मेडिकल साईंसेस, भिलाई (छ.ग.) की एम.एस. जनरल सर्जरी की 01 सीट को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर अनुसार मुक्त कर दी गई है।

अतः संस्था नियमानुसार प्रवीण्यतानुसार आबंटन कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें।



अध्यक्ष

काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.



संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़